भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 5502**

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2026

**अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी नौकरियां**

**†5502. श्री अबू ताहेर खान:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी नौकरियों में भाग लेने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित इन नौकरियों में शामिल लोगों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों पर गौर करने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (मुख्य) में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के विभिन्न पदों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) और राजभाषा विभाग (DoOL) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण हैं तथा ये प्राधिकरण ऐसे संवर्ग पदों के लिए भर्ती, सेवा शर्तों और आरक्षण संबंधी मामलों का विनियमन और निगरानी करते हैं। तदनुसार, कर्मचारियों के धर्म या समुदाय-वार डेटा सहित सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव इन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में आता है, न कि इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में।

संवर्ग बाह्य (ex-cadre) पदों के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में केवल 07 पद हैं, जिनमें से 03 पद वर्तमान में रिक्त हैं। संवर्ग बाह्य पदों की कम संख्या और उपलब्ध सीमित रिक्तियों को देखते हुए, आरक्षण संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार इन रिक्त पदों के लिए आरक्षण प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान इन रिक्त संवर्ग बाह्य पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की गई है।

(ग) और (घ): सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, सभी विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों आदि और सभी नियोक्ता प्राधिकारणों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती में अल्पसंख्यकों को विशेष महत्व देने के उपायों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 08.01.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39016/7(s)/2006-Estt.(B) के दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 21.10.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी संबंधितों के लिए उक्त दिशानिर्देशों को पुन: दोहराया गया है।

उक्त कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ सभी विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों आदि और सभी नियोक्ता प्राधिकारणों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है:

(i) चयन समिति का गठन प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए। 10 या उससे अधिक रिक्तियों पर भर्ती के लिए चयन बोर्डों/समितियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) और एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य है।

(ii) जहां रिक्तियों की संख्या, जिनके लिए चयन किया जाना है, 10 से कम है, वहां भी ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी और अल्पसंख्यक समुदाय के एक अधिकारी को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(iii) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में सभी नियुक्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। विज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी के अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में भी जारी किए जाने चाहिए। इसके अलावा, केवल मूलभूत अर्हक अपेक्षा वाले समूह 'ग' और 'घ' स्तर के पदों के लिए, सामान्य माध्यमों के अतिरिक्त उस क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से भी रिक्तियों की जानकारी प्रसारित की जानी चाहिए।

(iv) जहां स्थानीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अधिक है, वहां उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से उन क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में रिक्ति परिपत्र वितरित किए जाएं।

*****